पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 13.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.04.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः-13.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने छिनैती की घटना का किया सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीनी गयी सम्पत्ति सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी है –

दिनांक- 10.04.2025 की देर रात्रि में थाना पनवाड़ी क्षेत्र के ग्राम नकरा के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीनैती की घटना को अंजाम दिया गया था, इस घटना के सम्बन्ध में थाना पनवाड़ी में दिनांक- 11.04.2025 को मु0अ0सं0-78/2025 धारा- 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना के सफल अनावरण हेतु थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए साक्ष्यों को संकलित किया गया, पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे अथक प्रयासों के क्रम में दिनांक- 12.04.2025 को प्र0नि0 थाना पनवाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए उक्त छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के हरपालपुर मोड़(तिराहे) पर कस्वा पनवाड़ी से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान क्रमशः 1.राज पुत्र करन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी जनपद हमीरपुर 2.आशीष पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम धगवाँ थाना जरिया जनपद हमीरपुर 3.प्रिंस पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम कैंथा थाना राठ जनपद हमीरपुर के रुप में हुई है। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती से सम्बन्धित 02 अदद कान के झुमके पीली धातु, 02 अदद पीली धातु के फल जो टूटे हुए मनचली (मंगलसूत्र), 01 अदद मोबाइल मोटोरोला कम्पनी मॉडल मोटो G85 कलर ऑलिव ग्रीन IMEI No- 356848155563655/63 बरामद किया गया है, इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नम्पर प्लेट को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है। घटना में छिनैती की सम्पत्ति बरामद होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. निरीक्षक गुलाब त्रिपाठी, प्र0नि0 थाना पनवाड़ी।
2. उ0नि0 हार्दिक 3. उ0नि0 पवन गौड
4. का0 मिथुन कुमार 5. का0 देवेन्द्र राजपूत

गिरफ्तार अभियुक्त व कब्जे से बरामदगी –

1. राज पुत्र करन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी जनपद हमीरपुर के कब्जे से से दो अदद कान के झुमके पीली धातु

2. आषीश पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम धगवाँ थाना जरिया जनपद हमीरपुर के कब्जे से 02 अदद पीली धातु के फल जो टूटे हुए मनचली (मंगलसूत्र) के हैं

3. प्रिंस पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम कैंथा थाना राठ जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 अदद मोबाइल मोटोरोला कम्पनी मॉडल मोटो G85 कलर ऑलिव ग्रीन

➡ छिनैती की घटना में प्रयुक्त काले रंग की TVS मोटरसाइकिल चेचिस नं0. MD625AF98R2K13939 के कोई बैध प्रपत्र न होने के कारण मोटर साइकिल बिना नम्बर को अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गयी

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने व सम्मानित समाज सुधारक महापुरुषों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।

दिनांक- 09.04.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से थाना पनवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक युवक द्वारा सम्मानित समाज सुधारक महापुरुषों के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुये सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक पर पोस्ट की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संज्ञान लेते हुये थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0- 77/2025 धारा- 352(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया। सम्बन्धित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

गठित टीम के द्वारा थाना पनवाड़ी क्षेत्र के राठ रोड़ के आगे जखा रोड के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त 1. बल्लू खरे पुत्र प्रेम नारायण खरे निवासी मोहल्ला अग्निहोत्री पुरा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस प्रशासन सख्त।

सभी से अपील है कि सभी त्यौहारों को हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न करें और सामाजिक सौहार्द बनाने में अपना सहयोग दें।

सभी नागरिकों को सचेत किया जाता है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी को भी अनुमाति नही है और यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

@MahobaPolice